भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 22

सोमवार, 18 जुलाई, 2022 / 27 आषाढ़, 1944 (शक)

श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन

22. श्री मनोज तिवारी:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री राजू बिष्ट:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्रीमती संगीता कुमार सिंह देव:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
श्री हंसमुखभाई एस. पटेल:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जटिल श्रम कानूनों को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए मौजूदा 29 केन्द्रीय श्रम विनियमों को शामिल करते हुए चार नयी श्रम संहिताओं को लागू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त संहिताओं को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उन राज्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने विगत वर्ष के दौरान उक्त संहिताओं के अंतर्गत मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता आदि के कार्यान्वयन के लिए अपने स्वयं के नियमों का प्रारुप तैयार किया है;

(ग) चूंकि इन संहिताओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभों में वृद्धि होने की उम्मीद है, श्रमिक संबंधी चार नई श्रम संहिताओं के संभावित प्रभाव क्या होंगे और इस तरीके से उक्त संहिताएं मजदूरों के लिए, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए उनके काम के घंटे, वेतन, भविष्य निधि, अवकाश आदि के संबंध में लाभकारी होंगे;

(घ) क्या नई संहिताओं के संगठन पर, विशेषकर उपदान के संबंध में महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव हो सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) क्या सरकार सभी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत विलय कर देगी और यदि हां, तो पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): सरकार ने चार श्रम संहिताएं अधिनिमयित की हैं, नामतः मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (आईआर संहिता); सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (एसएस संहिता) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (ओएसएच संहिता)।

"श्रम" संविधान की समवर्ती सूची में है तथा श्रम संहिताओं के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाने अपेक्षित हैं। चार संहिताओं के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम के रूप में, केन्द्रीय सरकार ने मसौदा नियमों का पूर्व-प्रकाशन किया है, जिसमें सभी हितधारकों से उनकी टिप्पणियां मांगी गई हैं। सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए मसौदा नियमों का पूर्व-प्रकाशन किया है, निम्नलिखित हैः

संहिता का नाम	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**
मजदूरी संहिता, 2019	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (31)
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (26)
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (25)
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (24)

(ग): श्रम संहिताओं ने सांविधिक न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, कार्य घंटे, स्वास्थ्य देखभाल आदि के संदर्भ में असंगठित कामगारों सहित कामगारों को उपलब्ध संरक्षण को मजबूत किया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

में असंगठित क्षेत्रों के साथ-साथ गिग और प्लेटफार्म कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए सामाजिक लाभों का प्रावधान है। संहिता में निम्नानुसार कुछ नए प्रावधानों की परिकल्पना की गई हैः-

(i) असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों के कल्याण हेतु योजना बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करना।

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत कवरेज का विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर अर्थात देश के सभी जिलों में करना।

(iii) 10 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर ईएसआईसी के कवरेज को आरंभ किया गया है।

(iv) ईएसआईसी के तहत लाभों को अधिसूचना के माध्यम से वैसे प्रतिष्ठान जो जोखिमकारी या जीवन के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय से संबंधित हो में भी लागू किया गया है, चाहे वहां केवल एक कर्मचारी ही नियोजित हो।

(v) ईएसआईसी या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से लाभों का विस्तार असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए किया गया है।

(vi) निश्चित अवधि रोजगार (एफटीई) में लगे व्यक्तियों के लिए, उपदान के लिए 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा की आवश्यकता के बिना सेवा का आनुपातिक लाभ बढ़ाया गया है। एफटीई के तहत व्यक्ति जो एक साल के लिए संविदा पर हो, वह भी उपादन के लिए पात्र होगा।

(घ): उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुरूप, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में भी अंतिम आहरित मजदूरी की दर से कामगारों के लिए उपदान के संदाय का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में उपबंध किया गया है, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में यह भी प्रावधान किया गया है कि कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली उपदान राशि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली राशि से अधिक न हो। हालांकि, उक्त संहिता को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

(ङ): निरंतरता को बनाए रखने के लिए, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में संहिता के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठनों द्वारा प्रशासित करने की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 किसी प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं के विनियमन के लिए कानूनों को समेकित और संशोधित कर सकती है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों की निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया गया है और औपचारिक नियुक्ति पत्र का उपबंध किया गया है। सभी प्रकार के कार्यों संबंधी सभी प्रतिष्ठानों में रोजगार के लिए महिलाओं को सशक्त किया गया है। महिलाएं अब रात्रि में, उनकी सहमति से, सुरक्षा के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए पात्र हैं।

****